संघ लोक सेवा आयोग

(विज्ञापन सं. 23 / 2011)

वेबसाइट http: // www.upsconline.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती के संबंध में निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है।

<u>रिक्तियों का विवरण</u>

1. (रिक्ति सं. 11122301410) छत्तीस उपनिदेशक (प्रशासन / बीमा / प्रशिक्षण आदि) कर्मचारी राज्य बीमा निगम । छत्तीस पदों में से पांच पद अ.जा., तीन पद अ.ज.जा. तथा ग्यारह पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं तथा शेष सत्रह पद अनारक्षित है । छत्तीस पदों में से एक पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात श्रवण बाधित (आंशिक बहरापन) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) / एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) के लिए आरक्षित है जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं । ये पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात श्रवण बाधित (आंशिक बहरापन) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) / एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) के लिए भी उपयुक्त है, जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं । **<u>अ0 यो0: क : शैक्षिक</u>** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष । **<u>ख : अनुभव</u>** : किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन / निगम / सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय या किसी अनुसूचित बैंक में दायित्व पूर्ण हैसियत में लगभग 5 वर्ष का अनुभव । **<u>टिप्पणी – 1</u>** : अनुभव की अवधि अर्थात लगभग 5 वर्ष से आशय यह है कि अनुभव 4 वर्ष 6 माह से कम नहीं होना चाहिए । **<u>टिप्पणी – 2</u>** : "दायित्वपूर्ण हैसियत" में अनुभव के बारे में निर्णय लेते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा : (i) पर्यवेक्षीय हैसियत में अनुभव संशोधन-पूर्व वेतनमान 5500-9000 रू. [संशोधित वेतनमान 9300-34800 रू. (वेतन बैड-2) न्यूनतम ग्रेड वेतन 4200/- रू.] या उच्च वेतनमान में अनुभव को "दायित्वपूर्ण हैसियत" के अनुभव के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

(ii) यदि अनुभव किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन / निगम / सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय या अनुसूचित बैंक से संबंधित नहीं होगा तो उस पर संगत अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा । (iii) अनिवार्य योग्यता से पूर्व प्राप्त अनुभव को संगत अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा । (iv) आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट होना चाहिए कि उल्लिखित अनुभव दायित्व पूर्ण हैसियत में प्राप्त किया गया है । उक्त प्रमाणपत्र में दायित्वपूर्ण हैसियत में किए गए कार्यों की प्रकृति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि अनुभव प्रमाणपत्र में इन कार्यों का उल्लेख नहीं होगा तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । **वां.यो.** : (i) सामाजिक बीमा या श्रमिक समस्याओं की जानकारी । (ii) एक या अधिक भारतीय भाषाओं विशेष रूप से हिन्दी की जानकारी । (iii) अनेक छोटे कार्यालयों की स्थापना तथा नियंत्रण में अनुभव । **कार्य** : क्षेत्रों में तैनात किए जाने पर क्षेत्रीय निदेशक के सभी कार्यों में उनकी सहायता करना । मुख्यालय कार्यालय में संयुक्त निदेशक के कार्यों में उनकी सहायता करना । समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **अन्य शर्तें** : वे उम्मीदवार जो पहले से ही राज्य / केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हैं, की नियुक्ति तात्कालिक विलयन के आधार पर की जाएगी ।

2. (रिक्ति सं. 11122302410) बीस उपनिदेशक (वित्त) कर्मचारी राज्य बीमा निगम । बीस पदों में से तीन पद अ.जा., दो पद अ.ज.जा. तथा छः पद अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और शेष नौ पद अनारक्षित हैं । बीस पदों में से एक पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात श्रवण बाधित (आंशिक बहरापन) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) / एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) के लिए आरक्षित है जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं । ये पद अक्षमता से प्रभावित शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों अर्थात श्रवण बाधित (आंशिक बहरापन) या अस्थि विकलांग / चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक पैर प्रभावित (ओ.एल.) / एक हाथ प्रभावित (ओ.ए.) के लिए भी उपयुक्त है, जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं ।

अ0 यो0: क : शैक्षिक : किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग या निगम या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक फर्म में 5 वर्ष के अनुभव सहित चार्टरित या पंजीकृत लेखाकार या किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग में दायित्वपूर्ण हैसियत में 5 वर्ष के अनुभव सहित एस.ए.एस. परीक्षा उत्तीर्ण लेखाकार । **टिप्पणी – 1** : अनुभव की अवधि अर्थात लगभग 5 वर्ष से आशय यह है कि अनुभव 4 वर्ष 6 माह से कम नहीं होना चाहिए । **टिप्पणी – 2** : "दायित्वपूर्ण हैसियत" में अनुभव के बारे में निर्णय लेते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा : (i) पर्यवेक्षीय हैसियत में अनुभव संशोधन-पूर्व 5500-9000 रू. [संशोधित वेतनमान 9300-34800 रू. (वेतन बैड-2) न्यूनतम ग्रेड वेतन 4200/- रू.] या उच्च वेतनमान में अनुभव को "दायित्वपूर्ण हैसियत" के अनुभव के रूप में स्वीकार किया जाएगा । (ii) यदि अनुभव किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन / निगम / सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय या अनुसूचित बैंक से संबंधित नहीं होगा तो उस पर संगत अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा । (iii) अनिवार्य योग्यता अर्थात् चार्टरित या पंजीकृत लेखाकार अथवा एस.ए.एस. पास लेखाकार से पूर्व प्राप्त अनुभव को संगत अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा । (iv) आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट होना चाहिए कि उल्लिखित अनुभव दायित्वपूर्ण हैसियत में प्राप्त किया गया है । उक्त प्रमाणपत्र में दायित्वपूर्ण हैसियत में किए गए कार्यों की प्रकृति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि अनुभव प्रमाणपत्र में इन कार्यों का उल्लेख नहीं होगा तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । **वां.यो.** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष । **कार्य** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली मुख्यालय में तैनात किए जाने पर संयुंक्त निदेशक (वित्त) / निदेशक (वित्त) / वित्तीय आयुक्त की सहायता करना । कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किए जाने पर संयुक्त निदेशक (वित्त) / क्षेत्रीय निदेशक की सहायता करना । एक क्षेत्र के लेखों की देख रेख करना तथा क्षेत्रीय कार्यालयों / एस.आर.ओ. / कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल आदि में तैनात किए जाने पर स्थानीय लेखा परीक्षा का आयोजन करना । **अन्य शर्तें** : वे उम्मीदवार जो पहले से ही राज्य / केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हैं की नियुक्ति तात्कालिक विलयन के आधार पर की जाएगी ।

महत्वपूर्ण	
ओ.आर.ए. वेबसाइट के द्वारा ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 29.12.2011 को 23.59 बजे तक है ।	विशिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की प्रति सहित ऑन लाइन आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तारीख 12.01.2012 (डाक / दस्ती द्वारा) है ।
सभी उम्मीदवारों की सब प्रकार से पात्रता निर्धारण करने की तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) की प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख होगी ।	

<u>टिप्पणी</u> :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को <u>न</u> लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे प्रकाशित पदों के विवरण तथा अनुदेशों को वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) **<u>पदों का स्वरूप</u>** : मद सं. 1 तथा 2 वाले पद स्थायी हैं।

ग) **<u>वेतनमान तथा वर्गीकरण</u>** : वेतनमान के अंत में कोष्ठक में दी गई संख्याएं न्यूनतम वेतनमान पर यात्रा भत्ता तथा म.कि.भ. को छोड़कर लगभग समस्त परिलब्धियों (प्रतिमाह) को दर्शाती हैं।

मद सं. 1 तथा 2 वाले पदों के लिए : 15600-39100/- रू. (वेतन बैन्ड-3)

+ 5400/- रू. (ग्रेड वेतन) (कु. प. 31710/- रू.) ग्रुप "क"

घ) **<u>29.12.2011 सामान्य अंतिम तारीख को आयु सीमा</u>** :-

40 वर्ष से अधिक नहीं : मद सं. 1 तथा 2 वाले पदों के लिए

ड़) अन्य सभी क्रम संख्याओं के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है और अ.जा. / अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 3 वर्ष की छूट है। अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी जो रियायत है, उसके लिए आवेदक कृपया "चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश" के संगत पैरा देखें। **कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबद्ध पदों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आयु में मिलने वाली अतिरिक्त छूट कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगी।**

(च) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार अथवा अशक्त उम्मीदवार जैसाकि विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाया गया है, उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं लेकिन उपयुक्त समझी गई हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा । कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने का पात्र माना जाएगा, जैसाकि नियमों के अंतर्गत अनुमेय है । अतः शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं:

(i) नियमों के अंतर्गत मिलनेवाली आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होगी जब शारीरिक अशक्तता की डिग्री 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(ii) **नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट** केवल तभी स्वीकार्य होगी जब शारीरिक अशक्तता की डिग्री 40 प्रतिशत या अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

छ) **<u>मुख्यालय</u>** : कुछेक पदों के सामने विशेष रूप से निर्दिष्ट स्थानों पर, अन्यथा भारत में या विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

ज) <u>परिवीक्षा</u> : चुने गए व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

कोई उम्मीदवार या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या,

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया है.

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया हो.

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रदान कर देती है.

2. आयु सीमाएं : इस पद के लिए आयु सीमाओं का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न वर्गों को आयु में जो छूट देय है उसके लिए छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश **देखें.**

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन में दी गई पद की अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अवश्य पूरा करना होगा. उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले स्वयं इस बात से संतुष्ट हो लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता तो कम से कम पूरा करते हैं । पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

नोट-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को रखने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते.

नोट-II : जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हो तो आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकता है :

(क) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से अधिक उच्च योग्यताओं के आधार पर या

(ख) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा उच्च अनुभव के आधार पर या

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के पहले या बाद में प्राप्त अनुभव को जोड़ कर या

(घ) प्राक्चयन परीक्षण आयोजित करके.

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें ।

4. आवेदन शुल्क :

(क) उम्मीदवार को निर्धारित शुल्क राशि का भुगतान केवल रु. 25/- (पच्चीस रूपए) केवल एस बी आई के किसी भी शाखा में नकद जमा करके या एस बी आई की नेट बैंकिग सुविधा का उपयोग कर या वीज़ा/ मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते है ।

(ख) अ.जा. / अ.ज.जा. / शारीरिक विकलांग / किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई "शुल्क देय नहीं" होगा । अ.पि.व. के पुरूष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें पूरा निर्धारित शुल्क देना होगा ।

(ग) निर्धारित पूरे शुल्क के बिना भेजे गए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे देखते ही रद्द कर दिया जाएगा. आवेदन के इस प्रकार रद्द किए जाने के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

(घ) किसी भी परिस्थिति में अदा की गई शुल्क को नहीं लौटाया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में उनकी सैनिक सेवा की अवधि और उसमें 3 साल की अवधि जोड़कर बनने वाली अवधि तक इन शर्तों पर छूट दी जाएगी कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को (i) भूतपूर्व सैनिक द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 मास से कम न हो और (ii) उसकी वास्तविक आयु से सेवा की अवधि घटाने के फलस्वरूप बची आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो. यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है. जिन्होंने सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तारीख को और 5 वर्ष आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के अंतर्गत उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा । इस पैरा के अंतर्गत आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी : ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होने केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त कर लिया हो, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है. तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के लिए पात्र नहीं होंगे.

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है. आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों को और रक्षा सेवाओं में की गई सेवा की अवधि का उल्लेख होना चाहिए.

(i) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प कालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय नई दिल्ली

नौ सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(ii) नौ सेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में :-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा,

नौ सेना : नौ सेना रिकार्ड, मुंबई

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 10 वर्ष तथा अपिव के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 8 वर्ष) की छूट है. वे उम्मीदवार जो इस पैरे के अंतर्गत केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के आधार पर आयु में छूट का दावा करते हैं उन्हें इस **विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख के बाद** में अपने नियोक्ता से कार्यालय के लैटर हैड पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केन्द्र सरकार का नियमित कर्मचारी है और वह नैमित्तिक/ तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है.

ऐसे सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट देय होगी कार्यरत हैं जो उसी क्षेत्र से संबंधित हैं या संबद्ध संवर्ग के है तथा उनके बीच ऐसा संबंध स्थापित किया जा सकता हो कि वे जिस विशिष्ट पद पर कार्यरत हैं उस पर की गई सेवाएं विज्ञापित पद (पदों) के कार्यों को सुचारू निपटान में उपयोगी रहेंगी । इस संबंध में निर्णय आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा ।

(घ) उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए आयु सीमा में छूट : सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त खेलों/क्रीड़ाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष तथा अ.पि.व. के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर अ.पि.व. व्यक्तियों को 8 वर्ष) तक की छूट दी जा सकती है, बशर्तें कि वे समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं. इस उप पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार के अनुरोध पर आयोग द्वारा भेजे गये निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए.. अन्य मामलों में असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आयु सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा और किसी को तीन वर्ष से अधिक की छूट नहीं प्रदान की जाएगी.

(ङ) विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं या न्यायिक कार्यवाई के तहत अपने पतियों से पृथक हुई महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट : विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं न्यायिक कार्रवाई के तहत अपने पति से पृथक हुई ऐसी महिलाओं को, जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है, ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को 40 वर्ष तक) तथा अ.पि.व. के सदस्यों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में 38 वर्ष तक छूट प्राप्त है. इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु में छूट चाहने वाली महिलाओं को निम्नलिखित लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए :

(i) यदि विधवा है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र कि उसने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है.

(ii) तलाकशुदा महिलाओं तथा न्यायिक कार्रवाई के तहत अपने पतियों से पृथक हुई महिलाओं के मामले में, सक्षम न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें तलाक होने या न्यायिक कार्रवाई के तहत पृथक होने, जैसी भी स्थिति हो, की बात प्रमाणित की जा सके, तथा साथ में तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में इस आशय का शपथ-पत्र कि उन्होंने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है.

(च) उन व्यक्तियों को जो सामान्यत: 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों, आयु सीमा में छूट :

उन सभी उम्मीदवारों को जो सामान्यत: 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हो, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इस उप पैरा के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उस जिला अधिकारी से या जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नामोद्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी से, जिसके क्षेत्राधिकार में उन्होंने सामान्यत: निवास किया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । छूट की यह अवधि 31/12/2011 तक लागू रहेगी ।

(छ) शारीरिक विकलांग (पी.एच.) व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट :

ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए दृष्टिहीन, मूक-बधिर और अस्थि विकलांग उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों के मामले में आयु में 5 वर्ष (अनु.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को कुल 10 वर्ष और अ.पि.व. उम्मीदवारों को 8 वर्ष) की छूट है । इस उप पैरा के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि उनकी शारीरिक अशक्तता चालीस प्रतिशत या उससे अधिक है। किसी भी स्थिति में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" पदों के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग निर्धारित शारीरिक आरोग्यता संबंधी मानदण्डों के अनुसार योग्य पाए जाने पर ही की जायेगी.

6. आवेदन किस प्रकार करें :

(क) उम्मीदवार वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करें । किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा ।

(ख) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें.

(ग) ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार अंतिम रूप से जमा की गई ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना अपेक्षित है ।

(घ) उम्मीदवारों को उपर्युक्त पैरा 7(क) में वर्णित विशिष्ट दस्तावेज / प्रमाणपत्रों सहित ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट भेजना अपेक्षित है ।

(ड) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन-पत्र के साथ एक अपना पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड भेजें, जिसके ऊपर कुल रु. 6.00 की टिकट लगी हो. इस कार्ड में विज्ञापन सं. तथा रिक्ति सं. तथा आवेदित पद की सं. का उल्लेख होना चाहिए. आयोग द्वारा उम्मीदवार को इस कार्ड को लौटाकर आवेदन की पावती दी जाएगी. जिसमें उम्मीदवार को दी गई पंजीकरण संख्या का उल्लेख होगा. उम्मीदवार कृपया नोट कर लें कि इस कार्ड के अतिरिक्त अलग से कोई पावती उन्हें नहीं भेजी जाएगी. यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पंद्रह दिन के भीतर यह पोस्ट कार्ड नहीं मिलता है तो उसने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके आवेदन पत्र सं. देते हुए आयोग से इस संबंध में पूछताछ कर लेनी चाहिए.

टिप्पणी-I : उम्मीदवारों को ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने (शुल्क का भुगतान भी शामिल है) के बाद विशिष्ट दस्तावेज / प्रमाणपत्र सहित ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) के प्रिंट आउट को **डाक / दस्ती द्वारा** जमा करना होगा ।

टिप्पणी-II : ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110069 को निर्धारित अंतिम तारीख तक या उससे पहले भेज दें ।

टिप्पणी-III : यदि निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों के साथ ऑन लाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होता है या प्राप्त नहीं होता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और परिणामतः संबंधित ऑन लाइन आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा ।

टिप्पणी - IV : उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र के साथ निर्दिष्ट दस्तावेज / प्रमाण पत्र भेजते समय वे लिफाफे के ऊपर □**चयन द्वारा भर्ती**□ मोटे शब्दों में लिखें ।

टिप्पणी - V : उम्मीदवार अपने संबंधित ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संलग्नकों की सूची सहित अपने निर्दिष्ट दस्तावेज/प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से समुचित पावती लेकर आयोग के काउंटर पर "**दस्ती"** रूप से जमा करा सकते हैं । आयोग कार्यालय, आयोग के किसी अन्य कर्मचारी को सौंपे गए दस्तावेज़ों / प्रमाणपत्रों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी – VI : संबंधित ऑन लाइन आवेदनपत्र के प्रिंट आउट के साथ निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों को कोरियर या कोरियर सेवा जैसी किसी अन्य सेवा के माध्यम से आयोग काउंटर पर जमा किए पर दस्तावेज़ों / प्रमाणपत्रों को □**दस्ती**□ रूप से जमा किया माना जाएगा न कि □**डाक द्वारा**□ प्राप्त माना जाएगा ।

टिप्पणी – VII : उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से नोट कर लेना चाहिए कि आयोग किसी भी मामले में ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ उनके निर्दिष्ट दस्तावेज़ों/प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने या उनकी प्राप्ति में किसी भी कारण से होने वाले विलंब के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा । निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र / प्रमाण पत्रों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और तदनुसार सभी संबंधित ऑन लाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके निर्दिष्ट दस्तावेज/प्रमाणपत्र तथा संबंधित ऑन लाइन आवेदनपत्र निर्धारित अंतिम तारीख तक या उससे पहले आयोग कार्यालय में पहुंच जाएं ।

7. दस्तावेज / प्रमाण-पत्र :

क) उम्मीदवार को अपने ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) के साथ-साथ केवल निम्नलिखित दस्तावेज / प्रमाणपत्र या तो ऑन लाइन या डाक द्वारा / दस्ती रूप से किसी भी चुने गए माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी :

(क) दावा की गई शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के समर्थन में समस्त शैक्षिक वर्षों से संबंधित अंक तालिकाओं के विवरण के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां । डिग्री / डिप्लोमा उपलब्ध न होने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंक तालिकाओं के साथ-साथ अनंतिम प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे ।

(ख) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष उपवाक्य के बारे में दावा की गई समकक्ष योग्यताओं के समर्थन के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को प्राधिकारी सहित उस आदेश/पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो ।

(ग) दावा किए गए सम्पूर्ण अनुभव के लिए संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) जिसमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की निर्धारित प्रपत्र में स्व-प्रमाणित प्रतियां । इस प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) सहित उल्लेख किया जाना चाहिए. यदि पद से संबंधित अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है किंतु उसमें ऊपर दर्शाया गया समस्त विवरण दिया गया है तो आयोग उस पर गुणों के आधार पर विचार करेगा ।

(घ) चिकित्सीय स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पद पर नियुक्ति के पात्र शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र की एक स्व-प्रमाणित प्रति ।

ख) साक्षात्कार के लिए भेजे गए बुलावा पत्र (समन लेटर) में निर्दिष्ट अन्य मदों सहित निम्नलिखित मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी :

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाणपत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो । जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र / अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा ।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के समर्थन में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । डिग्री/डिप्लोमा जमा न किए जाने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा ।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष उपवाक्य के बारे में दावा की गई समकक्ष योग्यताओं के समर्थन के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को प्राधिकारी सहित उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो ।

(घ) दावा किए गए सम्पूर्ण अनुभव के लिए संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां । इस प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप / प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए । अनुभव प्रमाण पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए । यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा ।

(ड़) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.की की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति तथा उस अधिनियम/ आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव / शहर का नाम जहां वह सामान्यत: निवास करता हो ।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है । जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, उक्त पद के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख निर्णायक तारीख के रूप में मानी जाएगी ।

(छ) चिकित्सा स्वास्थ्य के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह होने पर या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **महिलाओं के विवाहित होने की स्थिति में** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ पत्र ।

ii) **महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में-** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ पत्र ।

iii)**तलाकशुदा महिलाओं के मामले में-** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/ शपथ पत्र, जिस पर ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति ।

iv) **अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में**, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति ।

(ज) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र / दस्तावेज :

i)ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भू. सै. तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में ।

ii)केन्द्र सरकार /संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में से ।

iii)उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में से ।

iv)विधवा / तलाकशुदा/न्यायिक पृथककरण के तहत अपने पति से अलग रह रही महिलाओं के लिए ।

v)वे व्यक्ति जिन्होंने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक सामान्यतः जम्मू कश्मीर में निवास किया हो ।

vi) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध / आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं ।

(झ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन/ घंटेवार भुगतान / संविदा आधार के अलावा स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है ।

टिप्पणी I. **मूल प्रमाणपत्र केवल साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ।**

टिप्पणी II. ऑन लाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तारीख अंतिम है । बाद में किसी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी III. ऑन लाइन भर्ती आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को छोड़कर आवेदन पत्र में जो भी दावे किए हों, उनके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे ।

टिप्पणी IV. **अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि की उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करते समय, गणना नहीं की जाएगी ।**

टिप्पणी V. यदि कोई दस्तावेज / प्रमाणपत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत की जाती है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं । उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए.

जो उम्मीदवार निम्नलिखित कारण से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है.

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य सम्पन्न कराया हो, अथवा

(घ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, अथवा

(ड़) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई हो, अथवा

(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो, अथवा

(छ) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(ज) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा.

(झ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ज्ञ) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ट) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाए हों,

(ठ) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को स्वयं करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता हैं, और इसके साथ ही उसे -

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, तथा / या

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :-

*आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

*केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी स्वामित्व के औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑन लाइन के माध्यम से भेजना चाहिए. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक दर/ घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है.

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑन लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी.

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के बारे में समकक्ष योग्यता के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम (संख्या तथा तारीख) प्रस्तुत करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑन लाइन आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा ।

(घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है. तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में इस यात्रा को करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेलवे किराए के वास्तविक खर्चें को, जो भी कम हो, को द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की दरों पर अपना अंशदान देता है. इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा.

(ड़) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें आयोग द्वारा उनके द्वारा किराये पर किये गये खर्चों का भुगतान साक्षात्कार वाले दिन उसी तारीख को किया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्ते पूरी करतें हों जिन उम्मीदवारों को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा.

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने से यह आश्वासन नहीं मिलता है कि उनका चुनाव कर लिया जाएगा. चुने हुए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे.

(छ) उम्मीदवार को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए । चुने जाने पर उन्हें ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को संतुष्ट करना होगा जो सरकार अपेक्षा करे.

(ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथा समय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की गई अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा. आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है.

(झ) आयोग अपने विवेक से विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है.

(ज)अपने पक्ष में किसी प्रकार का प्रचार करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

जांच सूची : ऑन-लाइन भर्ती आवेदन या दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित की जांच कर लें :

(क) कि कोई कॉलम गलत ढंग से नहीं भरा गया है या खाली नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि उनमें दी गई सूचना के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित की जाएगी ।

(ख) ऑन लाइन आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने के बाद अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्रिंट आउट की एक प्रति निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों के साथ आयोग को भेज दें ।

(ग) कि संगत क्षेत्र में सभी योग्यताएं तथा अनुभवों (निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं तथा अनुभवों के अलावा) का उल्लेख ऑन लाइन आवेदन में किया जाना चाहिए क्योंकि उच्च अनुभव तथा / या योग्यताओं के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की संख्या को एक यथोचित सीमा तक कम कर सकता है ।

(घ) ऑन लाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावों / दी गई जानकारी के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिएं :
(i)शैक्षिक योग्यताओं के समर्थन में सभी वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र सभी वर्षो की अंक तालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण पत्रों पर भी विचार किया जाएगा ।
(ii)निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र ।
(iii)दावा की गई समकक्ष योग्यताओं के समर्थन में उस प्राधिकारी के आदेश / पत्र की प्रति (सं0 तथा तारीख सहित) जिसके अंतर्गत ऐसा स्वीकार किया गया हो ।
(iv)निर्धारित प्रपत्र में शारीरिक विक्लांगता प्रमाण पत्र ।

(ड़) संलग्न किए गए दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों में दी गई किसी सूचना पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऑन लाइन आवेदन पत्र में उसका उल्लेख न किया हो ।

(च) ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ भेजे जाने वाले निर्दिष्ट दस्तावेज / प्रमाण पत्र पर्याप्त समय के पहले आयोग में भेज दिए जाने चाहिएं जिससे कि ये निर्दिष्ट दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं ।

(छ) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि निर्दिष्ट दस्तावेज / प्रमाण पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में **"चयन द्वारा भर्ती"** लिखें । निर्दिष्ट दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के प्रत्येक सैट के लिए ओ. आर. वैबसाइट से ली गई संलग्नकों की सूची, संबंधित आवेदन सं0 साथ होनी चाहिए और अलग-अलग लिफाफों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(ज) कि यदि उम्मीदवार द्वारा धारित योग्यताएं समकक्ष हैं तो उस आदेश/ पत्र की एक प्रति जिसके अंतर्गत इसे ऐसा स्वीकार किया गया है संलग्न करें ।

(झ) कि ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ निर्दिष्ट दस्तावेज/प्रमाण पत्र निर्धारित अंतिम तारीख तक या उससे पहले संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली-110069 को भेजे जाएं ।

महत्वपूर्ण

(क) संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परीसर /साक्षात्कार हाल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है ।

(ख) सरकार एैसी श्रम शक्ति के लिए प्रयासरत है जो महिलाओं और पुरूषो के संतुलन को दर्शाती हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती हो ।

(ग) यदि उम्मीदवार आवेदन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण आदि चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125/ 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं ।